



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

पी. सरदार सिंह
P. SARDAR SINGH
वित्त अधिकारी
FINANCE OFFICER

दूरभाष /Phone : + 91-7152-230906
फैक्स /Fax : + 91-7152 232994

पत्रांक: 002/2012/निर्गत/2013-14/10/345

दिनांक: 18.09.2015

परिपत्र

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत सूचित किया जाता है कि पूर्व में जारी परिपत्र/सूचना क्रमांक 002/2012/निर्गत/2013-14/10/720, दिनांक 21.02.2015 एवं तदनुसार जारी संशोधित परिपत्र क्रमांक 002/2012/निर्गत/2013-14/10/759, दिनांक 12.03.2015 जिसमें बिंदु संख्या 6 के अंतर्गत “छुट्टी यात्रा सुविधा हेतु जिन कर्मचारियों को हवाई यात्रा की पात्रता है, को रेलमार्ग का, 2 टायर वातानुकूलित का गृह नगर/संपूर्ण भारत छुट्टी यात्रा सुविधा ही तत्काल प्रभाव से दिए जाने का निर्णय लिया गया है।”, को अधिक्रमित करते हुए दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 से “सभी कर्मियों को उनकी पात्रता के अनुसार छुट्टी यात्रा सुविधा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।”

(पी. सरदार सिंह)

प्रतिलिपि: सभी विद्यापीठ/केंद्र/विभाग/अनुभाग - वेबसाइट के माध्यम से।